

29-11-2025

यूएनसीआर-1850 / 2022

सुखचैन विरुद्ध श्रीमति सोनी पटेल

परिवादी अनुपस्थित।

परिवादी व उनके अधिवक्ता पूर्व के कई पेशियों से उपस्थित नहीं। प्रकरण के आदेश पत्रिका के हासिए में पूर्व के कई पेशियों से परिवादी व उनके अधिवक्ता के उपस्थिति दर्ज नहीं है।

प्रकरण में परिवादी व उनके अधिवक्ता को बार-बार पुकार लगवाई गयी किंतु परिवादी व उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं। उनकी ओर से कोई परिजन भी उपस्थित नहीं।

परिवादी व उनके अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने के कारण परिवाद अनुपस्थिति में खारिज किया जाता है।

प्रकरण आपराधिक पंजी से कम किया जाकर प्रकरण का अभिलेख विहित समयावधि में अभिलेखागार प्रेषित किया जावे

(अभिसारिका माहुने)

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी

जबलपुर म0प्र0।